

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम जो इस तामीर में र</p>
<p>16 3 18</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार अत्रावली पुनः तहशिर जारी कर पत्रावली 18.4.18 को पेश की।</p>	<p>11/3</p>
<p>18-4-18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। (वकील इन्सुफन उपस्थित) तहसीलदार से रिपोर्ट कमा 24 पत्रावली लोक कर्मचारी के मुद्दा पुराने राजीवगान्धी संकाय के डिपेंडेंस 10-5-18 को पेश की।</p>	
<p>10-5-18</p>	<p>पत्रावली माय आपके द्वार अक्षयपक्ष 18 के अन्तर्गत लोक अदालत के मुद्दे अदालत के मुद्दा पुराने पराहुरी उभयपक्षकाराने उपस्थित हुकम दिया मूलवाद में समझौता कर लिया है अतः अब वे इस अपील पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते। उभयपक्षकार ने सहमति स्वरूप आर्डर शीट पर अपने हस्ताक्षर किये। उभयपक्षकाराने द्वारा पत्रावली पर किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहे जाने के आधार पर पत्रावली फासला (खारिज) की जाती है। पत्रावली फासला रुमा रहे दफ्तरी से कम हो।</p> <p>हुकम जि. नं. 10/18 चौथ का दरवाजा</p>	<p>रंजित राजेश लाल बालकृष्ण प्रजापति जुलै 2018 जि. नं. 10/18 नंदन लाल</p>